न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 82/09

1. गोबरी लाल आत्मज कन्हैया लाल बैरवा ।
2. हीरा लाल आत्मज कन्हैया लाल बैरवा ।
3. पुष्पचन्द आत्मज कन्हैया लाल बैरवा ।
4. ज्याना बाई बेवा कन्हैया लाल बैरवा निवासीगण ग्राम सारसला तहसील के0 पाटन।
5. मनभर बाई पुत्री कन्हैया लाल बैरवा पत्नी रामदेव निवासी ग्राम जयथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. चौथमल आत्मज कन्हैया लाल ।
2. कस्तूरचन्द आत्मज कन्हेया लाल ।
3. बच्ची बाई बेवा कन्हैया लाल ।
4. कैलाशबाई पुत्री कन्हैया लाल जाति बैरवा निवासीगण ग्राम सारसला तहसील के0 पाटन ।
5. सुंदर लाल आत्मज देवीलाल बैरवा (नाम तर्क) ।
6. गोबरी लाल आतमज केसरा बैरवा ।
7. महावीर आत्मज केसरा बैरवा (नाम तर्क) ।
8. रामदेव आत्मज छीतर बैरवा (नाम तर्क) ।
9. लालाराम आत्मज छीतर बैरवा निवासीगण समदपुरिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
10. तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री बृजनारायण शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रघुनन्दन गौतम, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 06.12.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.10.2008 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम सारसला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी की आराजी कुल 03 किता की 1.61 हैक्टर भूमि जो प्रतिवादी क्रम

के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं दावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी पर वादीगण रेस्पोडेन्ट का कब्जा था और कब्जे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी का रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.10.2008 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने कृषि भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होने के बावजूद उक्त विक्रय पत्रों को बिना महत्वता दिये ही और उक्त विक्रय पत्रों के किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा निरस्त किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायाहित में उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.10.2008 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा पत्रावली में उपलब्ध रजिस्टर्ड बेचान पत्रों का दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 30.01.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 06.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा